न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **67/14 (वाद)**

GCMS No. : 2014/00121

उनवान

1. श्रीमती नम्रता पुत्री श्री पन्नेसिंह जी जाति–राव, आयु वयस्क, निवासी–बोयणा, हाल–गटेडी, तहसील भदेसर, जिला–चित्तौडगढ़ (राज०)

1/1–श्री महेन्द्रसिंह पिता श्री गिरधारी सिंह जी राव (पति), आयु वयस्क, निवासी–बोयणा, हाल–गटेडी, तहसील–भदेसर, जिला–चितौडगढ़ (राज०)

1/2–सुश्री देवीनासिंह पिता श्री महेन्द्रसिंह जी राव, उम्र अल्पवयस्क जरिये बविलायत प्राकृतिक संरक्षक पिता श्री महेन्द्रसिंह जी राव, निवासी–बोयणा, हाल–गटेडी तहसील–भदेसर, जिला–चितौडगढ़ (राज०)

2. श्रीमती जसोदा पत्नी करणसिंह जी पिता अमरसिंह जी जाति राव, आयु–वयस्क, निवासी–खरदेवडा, तहसील–बड़ीसादडी, जिला–चितौडगढ (राज०)

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री अमरसिंह पिता रघुनाथसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–बोयणा, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
2. श्रीमती राधाबाई पत्नी अमरसिंह जी जाति राव, आयु–वयस्क, निवासी–बोयणा, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
3. पन्नेसिंह पिता अमरसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–बोयणा, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
4. सतपालसिंह पिता जलबीरसिंह जी जाति–जाट, आयु–वयस्क, निवासी–जुल्ली, तहसील–तोशाम, जिला–भिवानी (हरियाणा) हाल वीएसएस मोटर्स हीरो एजेन्सी गोवर्धनविलास, उदयपुर, जिला–उदयपुर (राज०)
5. कुलदीपसिंह पिता नरपतसिंह जी जाति–जाट, आयु–अवयस्क, बविलायत पिता नरपतसिंह राव, आयु वयस्क, निवासी सायरा, तहसील–गोगुन्दा, जिला–उदयपुर (राज०)
6. भूपेन्द्रसिंह पिता नरपतसिंह जी जाति–जाट, आयु–अवयस्क, जरिये बविलायत पिता नरपतसिंह राव, आयु वयस्क, निवासी–सायरा, तहसील–गोगुन्दा, जिला–उदयपुर (राज०)
7. पटवारी, पटवार हल्का बोयणा, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
8. उप पंजियक महोदय, मावली, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:58:28 IST
Reason: SelfAttested

9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
..............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री भोजपुरी गोस्वामी, अधिवक्ता वादीगण ।

वाद अन्तर्गत धारा 53–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 05.03.2026

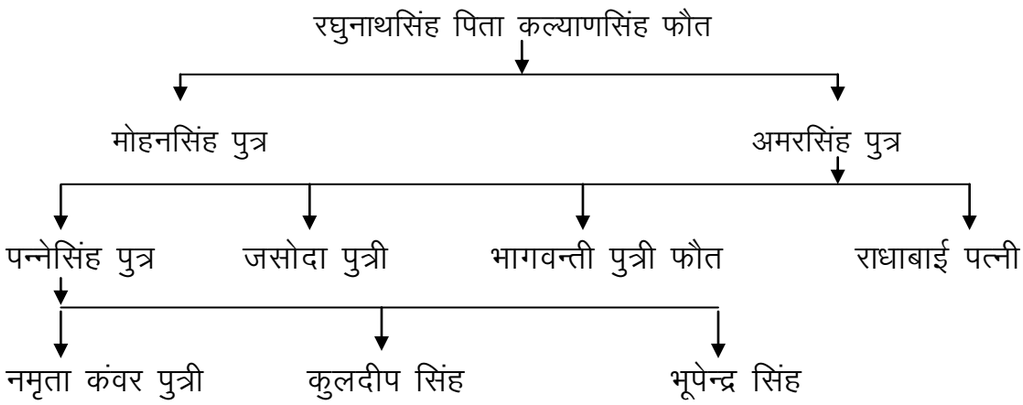

1. वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53–88–188 में पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बोयणा पटवार सर्कल बोयणा तहसील गावली जिला उदयपुर (राज०) के आराजी नम्बर 866, 867, 868, 878, 879, 1609/886, 1611/886 किता 7 कुल रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या एक अमरसिंह व प्रतिवादी संख्या चार के नाम पर आराजी न0 1609/886 दो बीघा एक बिस्वा के नाम पर अंकित है। हम वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक से तीन व पांच व छः का सजरा खानदान निम्न है–

2. यह कि उक्त वर्णित भूमि पैतृक भूमि है और पूर्व में हम वादी संख्या एक के परदादा, वादी संख्या दो के दादा एवं प्रतिवादी संख्या पांच के परनाना स्व० रघुनाथसिंह राय के नाम पर राजस्व रिकार्ड में अंकित थी और रघुनाथसिंह जी का स्वर्गवास होने पर उक्त भूमि उनके दोनों पुत्रो मोहनसिंह व अमरसिंह के नाम पर विरासत से अंकित हुई और मोहनसिंह ने अमरसिंह के पक्ष में अपनी स्वैच्छा से उक्त पैतृक भूमि में से अपने हिस्से का परित्याग कर दिया जिससे उक्त वर्णित सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या एक अमरसिंह जो कि हम वादीगण के पिता/दादा है के नाम पर अंकित हुई। इस प्रकार उक्त भूमि मौरूसी जायदाद होकर हम वादीगण को जन्म से ही उक्त भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है परन्तु प्रतिवादी संख्या एक व तीन की नियत में फितूर उत्पन्न हो जाने से एवं हम वादी[illegible] उक्त भूमि में से हमारे हिस्से की भूमि से वंचित करने की नियत से प्रतिवादी संख्या एक ने प्रतिवादी संख्या तीन से मिली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Puriadia
Date: 2026.04.16 15:58:28 IST
Reason: SelfAttested

भगत कर उक्त भूमि में से आराजी न0 1609/886 रकबा दो बीघा एक बिस्वा भूमि को प्रतिवादी संख्या चार को जरिए विक्रय पत्र विक्रय कर दी और प्रतिवादी संख्या चार जो स्ट्रेन्जर परचेजर है और हरियाणा राज्य का रहने वाला है ने राजस्व अधिकारियों से मिली भगत कर उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे अपने नाम पर जरिए नामान्तरणकरण संख्या 909 दिंनाक 5—10—13 को अंकन करवा ली जो विक्रय पत्र हम वादीगण के मुकाबले मे शुन्य व बैअसर होकर खारिज किये जाने योग्य है और प्रतिवादी संख्या एक बकाया भूमि को भी किसी अन्य को विक्रय करने पर आमादा है जिसका इनको कोई अधिकार नही है क्योंकि उक्त भूमि पैतृक संम्पति है और हमे जन्म से ही उक्त भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है इसलिए उक्त वर्णित भूमि मे से हम वादीगण के हिस्से व कब्जे भूमि को अपने अपने नाम पर घोषित फरमा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अंकन करवाने के अधिकारी है।

3. यह कि उक्त वर्णित भूमि मे से आराजी न० 1609/886 रकबा दो बीघा एक बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या चार सतपालसिंह के नाम पर अंकित है जो कि स्ट्रेन्जर परचेजर है जबकि हम वादीगण उक्त वर्णित भूमि में से हमारे हिस्से की भूमि पर काबिज है और हमारे ही उपयोग उपभोग मे है इसलिए उक्त वर्णित भूमि में से हमारे हिस्से की भूमि का विकास करने में एवं बैंक से ऋण प्राप्त करने में भारी कठिनाई हो रही है इसलिए हम वादीगण उक्त संम्पूर्ण भूमि का बंटवारा करवा अपने अपने हिस्से की 1/4 1/4 हिस्सा भूमि को स्वतन्त्र रूप से अपने अपने नाम पर अंकन करवाने की अधिकारी है।

4. यह कि उक्त वर्णित भूमि में से आराजी न० 1609/886 रकबा दो बीघा एक बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या चार सतपालसिंह के नाम पर अंकित है जो कि स्ट्रेन्जर परचेजर है और हरियाणा राज्य का निवासी है मौके पर जबरन कब्जा करने पर उतारू है और किसी अन्य को विक्रय करने पर आमादा है और प्रतिवादी संख्या एक भी बकाया संम्पूर्ण भूमि को विक्रय करने पर उतारू है इसलिए प्रतिवादी संख्या एक व चार को न्यायहित मे इस बात के लिए जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक हो गया है कि वो उक्त वर्णित भूमि को वाद के निस्तारण तक किसी अन्य को विक्रय रहन बक्षीस नहीं करें, न हमारे हिस्से की भूमि पर कब्जा करे और राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें एवं हमे शांतिपूर्वक उक्त कलम संख्या एक में वर्णित भूमि में से हमारे हिस्से व कब्जे की भूमि पर काश्त करने देवे इसमें किसी प्रकार की बाधा न स्वयं उत्पन्न करे न अपने नौकर चाकर एजेन्ट परिवारजन आदि से करावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2026.04.16 15:58:28 IST
Reason: SelfAttested

5. यह कि वादीगण का प्राइमाफेसी कैस है क्योकि उक्त वर्णित भूमि मौरूसी जायदाद है और हम वादीगण को जन्म से ही उक्त पैतृक भूमि मे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है, और सुविधा संतुलन भी हमारे पक्ष में है क्योंकि हम वादीगण उक्त भूमि में से अपने हिस्से की 1/4–1/4 हिस्सा भूमि पर लगातार निरतंर प्रतिवादी संख्या एक व तीन की जानकारी में काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे है परन्तु यदि प्रतिवादी संख्या एक व चार उक्त भूमि या इसमे से आराजी विशेष भूमि को अपने नाम पर राजस्व रिकार्ड में अंकन होने का नाजायज लाभ उठाकर किसी अन्य को विक्रय रहन बक्षीस कर देगें और मौके से हमे बेदखल कर देगे तो इससे जो क्षति हम वादीगण को होगी उसका मूल्याकंन रूपयो पैसों में किया जाना असंभव है जबकि स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादी संख्या एक व चार को किसी प्रकार की क्षति नही होगी ।

6. यह कि वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र कारण दिंनाक 25–2–14 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या एक ने उक्त वर्णित पैतृक भूमि को खुर्द बुर्द करने व किसी अन्य को विक्रय करने की धमकी दी और प्रतिवादी संख्या चार मौके पर कब्जा करने पर उत्तारू हुए उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर जारी है।

7. अंत में निवेदन किया की वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की डिकी जारी फरमाई जावे कि उक्त वर्णित पैतृक भूमि का विधिक रूप से बंटवारा करवाया जाकर हम वादीगण के हिस्से की 1/4 1/4 हिस्सा भूमि को स्वतन्त्र रूप से हम वादीगण के नाम पर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे अंकन फरमायी जावे व इसी अनुसार अलग से लगान जारी फरमाया जावे । उक्त वर्णित भूमि पैतृक भूमि है और हम वादीगण को जन्म से ही उक्त मौरूसी जायदाद में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है इसलिए उक्त कलम संख्या एक में वर्णित भूमि में से हम वादीगण के हिस्से व कब्जे की 1/4–1/4 हिस्सा भूमि जिस पर हम वादीगण लगातार निरतंर बिना किसी बाधा के प्रतिवादी संख्या एक व तीन की जानकारी में काबिज हो काश्त करते आ रहे है और हमारे ही उपयोग उपभोग में है उक्त संपूर्ण हमारे हिस्से की भूमि को हम वादीगण के नाम पर घोषित फरमाई जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में स्वतन्त्र रूप से अंकन फरमाई जावे । वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या एक व चार के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जाये कि प्रतिवादी संख्या एक व चार उक्त वर्णित भूमि को ताफैसला वाद किसी अन्य को विक्रय रहन बक्षीस नहीं करें, न ही हम वादीगण के कब्जे व्यवस्था में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे और हम वादीगण को हमारे हिस्से व कब्जे की भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त करने देवे इसमे किसी प्रकार की बाधा न खड़ी उत्पन्न करे अपने नौकर चाकर एजेन्ट परिवारजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:58:28 IST
Reason: SelfAttested

आदि से करवावे और यदि प्रतिवादी संख्या एक व चार उक्त भूमि विक्रय बाबत कोई दस्तावेज प्रतिवादी संख्या आठ उप पंजियक महोदय मावली के यंहा प्रस्तुत करे तो प्रतिवादी संख्या आठ ताफैसला वाद प्रस्तुत दस्तावेज का पंजीयन नही करे एवं प्रतिवादी संख्या सात पटवारी साहब बोयणा उक्त कलम संख्या एक में वर्णित भूमि बाबत कोई नामान्तरणकरण किसी अन्य के पक्ष में नहीं खोले न रिकार्ड में अमल दरामद करे एवं ताफैसला वाद राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें ।

8. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 से 9 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 5, 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। प्रतिवादी संख्या 7 से 9 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जबाब दावा पेश नहीं करना चाहा है। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की उक्त वर्णित आराजीयात में से आराजी नम्बर 1609/886 दो बीघा एक बिस्वा कृषि भुमि को प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 16–09–2013 से रूपये 5,50,000/– में प्रतिवादी उत्तरदाता को विक्रय कर आधिपत्य सिपुर्द कर दिया जिसका विक्रय पत्र उपपंजीयक मावली के यहाँ दिनांक 16–09–2013 को पंजीबद्ध किया गया। उक्त कृषि भुमि क्रय किये जाने के पश्चात् नियमानुसार पटवारी पटवार हल्का बोयणा द्वारा उक्त कृषि भूमि को राजस्व रेकर्ड की जमांबदी में प्रतिवादी उत्तरदाता के नाम दर्ज कर नकल जारी की तभी से प्रतिवादी उत्तरदाता का अपनी क्रयशुदा कृषि भूमि पर निर्बाध रूप से आधिपत्य चला आ रहा है। उक्त विक्रय–पत्र की कलम संख्या 10 में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा स्पष्ट अंकित किया गया है कि विक्रय की गई भुमि के सम्बन्ध में कुटुम्बीजन, रिश्तेदार या वारिसगण का कोई उजर नहीं है और यदि भविष्य में भी किसी प्रकार का कोई उजर होगा तो उसकी जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 01 की होगी। जिससे इस वाद का प्रतिवादी उत्तरदाता के प्रति कोई दायित्व आमादा नही होता है। प्रतिवादी उत्तरदाता द्वारा उक्त भुमि को प्रतिवादी संख्या 01 की पुर्ण रजामंदी से भुमि का विक्रय प्रतिफल अदा कर भुमि को क्रय किया गया है ओर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा पुर्ण होश हवास में विक्रय पत्र की कलम संख्या 10 में पुर्णतया अपनी जिम्मेदारी पर उक्त भुमि को विक्रय किया गया है। फिर भी यदि वादीगण का किसी भी प्रकार का कोई उजर है तो उसके लिये प्रतिवादी संख्या 01 पुर्णतया जिम्मेदार है ओर शेष बची कृषि भुमि में उसके हिस्से की भुमि से प्रार्थीगण को हिस्सा प्राप्त किया जा सकता है जिससे यह वाद–पत्र प्रतिवादी उत्तरदाता के मुकाबले शून्य एवं बेअसर है। उक्त विक्रय की गई आराजीयात पर कभी भी वादीगण का कोई कब्जा नहीं रहा है ओर न हो सकता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:58:28 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण का विवाह हो चुका है ओर वे अपने–अपने पति के साथ अपने ससुराल में रह रही है। उक्त कृषि भूमि क्रय किये जाने के पश्चात् से ही उक्त कृषि भूमि पर प्रतिवादी उत्तरदाता का कब्जा चला आ रहा है प्रतिवादी उत्तरदाता के नाम लाईट का कनेक्शन लगा हुआ है प्रतिवादी उत्तरदाता द्वारा उक्त भुमि पर ट्युबवेल खुदवाकर स्त्रीग्लर सिस्टम लगा रखा है ओर आगे की बाउन्ड्रीवाल बनाई जाकर अपनी फाटक लगाकर चौकीदार हेतु एक कमरे का निर्माण किया हुआ है जिससे वादीगण का तो उक्त विक्रय की गई आराजीयात पर किसी भी प्रकार का कब्जा होने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। उक्त विक्रय की गई आराजीयात पर कभी भी वादीगण का कोई कब्जा नही रहा है ओर न हो सकता है उक्त कृषि भूमि क्रय किये जाने के पश्चात् से ही उक्त कृषि भूमि पर प्रतिवादी उत्तरदाता का कब्जा चला आ रहा है प्रतिवादी उत्तरदाता के नाम लाईट का कनेक्शन लगा हुआ है प्रतिवादी उत्तरदाता द्वारा उक्त भुमि पर ट्युबवेल खुदवाकर स्त्रीग्लर सिस्टम लगा स्खा है ओर आगे की बाउन्ड्रीवाल बनाई जाकर अपनी फाटक लगाकर चोकीदार हेतु एक कमरे का निर्माण किया हुआ है जिससे वादीगण का तो उक्त विक्रय की गई आराजीयात पर किसी भी प्रकार का कब्जा होने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। वादीगण को दिनांक 25–02–2014 अथवा अन्य किसी दिनांक को प्रतिवादी उत्तरदाता के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई वाद कारण उत्पन्न नही होता है। उक्त कृषि भूमि क्रय किये जाने की दिनांक 16–09–2013 से ही उक्त कृषि भूमि पर प्रतिवादी उत्तरदाता का कब्जा चला आ रहा है एवं उक्त कृषि भुमि पर प्रतिवादी उत्तरदाता के नाम लाईट का कनेक्शन लगा हुआ है प्रतिवादी उत्तरदाता द्वारा उक्त भुमि पर ट्युबवेल खुदवाकर स्त्रीग्लर सिस्टम लगा रखा है ओर आगे की बाउन्ड्रीवाल बनाई जाकर अपनी फाटक लगाकर चोकीदार हेतु एक कमरे का निर्माण किया हुआ है जिससे वादीगण का तो उक्त विक्रय की गई आराजीयात पर किसी भी प्रकार का कब्जा करने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है।

9. यह कि वादीगण का प्रतिवादी उत्तरदाता के विरूद्ध किसी प्रकार का लोकस स्टेन्डाई ही नहीं है प्रार्थीगण द्वारा प्रतिवादी उत्तरदाता के विरूद्ध अनावश्यक बिना किसी आधार के वाद–पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्तनीय है उक्त विक्रय की गई आराजीयात पर कभी भी वादीगण का कोई कब्जा नही रहा है ओर न हो सकता है उक्त कृषि भूमि क्रय किये जाने के पश्चात् से ही उक्त कृषि भूमि पर प्रतिवादी उत्तरदाता का कब्जा चला आ रहा है एवं प्रतिवादी उत्तरदाता उक्त अपनी खातेदारी की कृषि भुमि पर निर्बाध रूप से काश्त करत चला आ रहा है। वादीगण प्रतिवादी उत्तरदाता के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई घोषणा की दाद प्राप्त करने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 18:58:28 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी नही है। अंत में निवेदन किया की जवाब दावा स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण का वाद पत्र प्रतिवादी उत्तरदाता के विरूद्ध मय विशेष खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

10. न्याय निर्णय हेतु प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :–

    1. आया वादीगण वादग्रस्त भूमि मौरूसी सम्पति होने से 1/4–1/4 हिस्सेनुसार भूमि अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं।

       ..... जिम्मे वादीगण

    2. आया वादीगण वादग्रस्त भूमि को अपने नाम दर्ज करा हिस्से एवं कब्जे अनुसार बंटवाडा कराने के अधिकारी हैं।

       ..... जिम्मे वादीगण

    3. आया वादीगण प्रतिवादी सं. 1 व 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी हैं।

       .....जिम्मे वादीगण

    4. आया वादीगण वादग्रस्त आराजीयात पर हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे हैं।

       ..... जिम्मे वादीगण

    5. आया प्रतिवादी सं. 4 द्वारा आराजी नम्बर 1609/886 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.09.2013 को 5,50,000/– रूपये में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया हैं। अतः वादीगण का वाद खारिज होने योग्य है।

       .....जिम्मे प्रतिवादी सं. 4

11. प्रकरण में साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्यवादी गवाह पी.डब्ल्यू 1 वादी संख्या 2 स्वयं जसोदा पत्नी करणसिंह पुत्री अमरसिंह राव निवासी खरदेवडा तहसील बड़ी सादड़ी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेज मौजा बोयणा की नकल जमाबंदी संवत 2066–69 की खाता संख्या 3 प्रदर्श 1, मौजा बोयणा की नकल जमाबंदी संवत 2050–53 की खाता संख्या 213 प्रदर्श 2, ग्राम पंचायत बोयणा द्वारा जारी सजरा खानदान दिनांक 28.02.2014 प्रदर्श 3 पेश किए गए। अधिवक्ता प्रतिवादी अनुपस्थित रहने से साक्ष्यवादी जिरह की स्टेज बंद कर पत्रावली को साक्ष्यप्रतिवादी में नियत की गई। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4 को साक्ष्यप्रतिवादी का पर्याप्त अवसर दिए जाने के पश्चात भी साक्ष्यप्रतिवादी गवाह उपस्थित नही होने से साक्ष्यप्रतिवादी का अवसर बंद किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4 एवं स्वयं प्रतिवादी संख्या 4 अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी संख्या 4 वि. एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:58:28 IST
Reason: SelfAttested

12. अधिवक्ता वादी की एकतरफा दावा बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया की वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादी का हक अधिकार जन्म से होने से खातेदारी अधिकारो की घोषणा कराने का अधिकारी है। वादी द्वारा दस्तावेज एवं गवाहो के बयानो से वाद को साबित कराने में सफल रहा है। अंत में निवेदन किया की वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादीगण को हिस्सेनुसार खातेदार घोषित करते हुए बंटवाड़ा किया जावे।

13. हमनें विद्धवान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को समायत किया, प्रकरण में वर्णित तथ्यों पर मनन् किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रकरण में तनकीवार विश्लेषण निम्नानुसार है :–

1. आया वादीगण वादग्रस्त भूमि मौरूसी सम्पति होने से 1/4–1/4 हिस्सेनुसार भूमि अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं।

.... जिम्मे वादीगण

उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा उक्त तनकी को साबित कराने के लिए प्रदर्श 2 ग्राम बोयणा की नकल जमाबंदी संवत 2050–53 के खाता संख्या 213 प्रस्तुत की। उक्त जमाबंदी में वादग्रस्त भूमि रूगनाथ सिंह पिता कल्याणसिंह राव के नाम खातेदारी अधिकार दर्ज रिकॉर्ड है। नामान्तरकरण संख्या 315 विरासत से मोहनसिंह, अमरसिंह पिता रूगनाथ सिंह के नाम दर्ज हुई। वादी स्वयं के कथनानुसार खातेदार मोहनसिंह द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि का हक त्याग अपने भाई अमरसिंह के पक्ष में कर दिया। खातेदार अमरसिंह द्वारा आराजी नम्बर 1609/886 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि का विक्रय सतपालसिंह पिता जलबीर सिंह जाट निवासी जुल्ली तहसील तोशाम जिला भिवानी प्रतिवादी संख्या 4 को कर दी। वादपत्र के ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह बात निर्विवादित रूप से स्पष्ट है कि वादीगण स्वयं अपने वाद पत्र की कलम संख्या 2 में उनके द्वारा दर्शाये गए सजरे में रघुनाथसिंह को मूल पुरूष मानते है। इसके पूर्व का न तो कोई सजरा दिया गया है, न ही वादग्रस्त आराजियात किस प्रकार से संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित मौरूसी सम्पत्ति है, इसका कोई भी वर्णन वादपत्र में किया गया है। इस कारण से वादग्रस्त आराजीयात मूल पुरूष रघुनाथसिंह की होने के कारण उनकी मृत्यु के पश्चात धारा 8 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार उनके दोनो पुत्रों में निहित हुई एवं वे ही प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है। रघुनाथसिंह के एक पुत्र मोहनसिंह द्वारा अपने नाम दर्ज भूमि का हकत्याग अपने भाई अमरसिंह के पक्ष में कर दिया। न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर. 2016 देहली पेज नम्बर 120 के अवलोकन अनुसार वादी को अपने वाद में यह बताना आवश्यक है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:58:28 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त सम्पत्ति मौरूसी किस प्रकार से है। इस न्यायिक दृष्टांत में यह दर्शाया गया है कि "**No averment in the plaint that grandfather of claimant inherited property(S) from his paternal ancestors prior to 1956 – properties in the hands of late grandfather cannot be HUF properties in his hands – It can be said that suit does not disclose cause of action and hence liable to be dismissed.**" उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि किसी भी वाद में मात्र यह अंकित कर देना कि वादग्रस्त आराजीयात मौरूसी सम्पत्ति है पर्याप्त नही है। वादीगण को अपने वादपत्र में बताना होगा कि वादग्रस्त आराजीयात किस प्रकार से मौरूसी सम्पत्ति है एवं मूल पुरूष की मृत्यु सन् 1956 ई. के पूर्व हुई है अथवा बाद में तथा सन् 1956 के पूर्व एच.यू.एफ. बनी थी अथवा नही। वादग्रस्त भूमि आज भी संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित संपति है या नही ? साथ ही मूल पुरूष रघुनाथ को संपति कैसे प्राप्त हुई। मूल पुरूष रघुनाथ की मृत्यु कब हुई ? ऐसा कोई भी तथ्य वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित नही किया गया है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वादपत्र में भी ऐसे कोई तथ्य वर्णित नही किये गये है जिससे यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता हो कि वादग्रस्त आराजियात किस प्रकार से संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभक्त मौरूसी सम्पत्ति है। वादीगण स्वयं द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 2 नकल जमाबंदी संवत 2050–53 के अनुसार वादग्रस्त भूमि रघुनाथ सिंह पिता कल्याणसिंह अकेले के नाम दर्ज थी। जमाबंदी पर लगे नोट अनुसार रघुनाथ के निधन के पश्चात हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत इसके प्रथम श्रेणी के वारिसान मोहनसिंह, अमरसिंह के नाम विरासत के नामान्तरकरण से दर्ज हुई। जिसमें हस्तक्षेप करने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 का उल्लंघन होगा। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

2. आया वादीगण वादग्रस्त भूमि को अपने नाम दर्ज करा हिस्से एवं कब्जे अनुसार बंटवाडा कराने के अधिकारी हैं।

..... जिम्मे वादीगण

उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर है। उक्त तनकी के संबंध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादीगण हिस्से कब्जे अनुसार वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा करवाना चाह रहे है। जबकि तनकी संख्या 1 खातेदारी अधिकारो की घोषणा वादी के विरूद्ध साबित हुआ है। अर्थात वादीगण का वादग्रस्त भूमि में खातेदारी अधिकार से नाम दर्ज नही होने कारण वादीगण को वादग्रस्त भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:58:28 IST
Reason: SelfAttested

बंटवाड़ा करवाने का कोई अधिकार नही है। अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

3. आया वादीगण प्रतिवादी सं. 1 व 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी हैं।

उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर है। उक्त तनकी के संबंध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादीगण का नाम वादग्रस्त भूमि में खातेदार के रूप में अंकित नही है तो रिर्कोडेड खातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकार भी वादीगण को नही है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

4. आया वादीगण वादग्रस्त आराजीयात पर हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे हैं।

उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर है। उक्त तनकी को साबित कराने के लिए वादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नही किया जिससे यह जाहीर होता हो की वादग्रस्त भूमि पर हिस्सेनुसार वादीगण का कब्जा काश्त होकर खेती करते हो। ऐसे में उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

5. आया प्रतिवादी सं. 4 द्वारा आराजी नम्बर 1609/886 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.09.2013 को 5,50,000/– रूपये में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया हैं। अतः वादीगण का वाद खारिज होने योग्य है।

उक्त तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी संख्या 4 पर है। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा उक्त तनकी को साबित कराने के लिए कोई साक्ष्य/गवाह पेश नही किया जिससे यह जाहीर होता हो की वादीगण द्वारा उक्त भूमि को 5,50,000 रूपये में क्रय किया हो। प्रदर्श 1 ग्राम बोयणा की नकल जमाबंदी संवत 2066–69 के खाता संख्या 3 पर अंकित नोट नामान्तकरण संख्या 909 दिनांक 05.10.13 के अनुसार आराजी नम्बर 1609/886 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 अमरसिंह से क्रय की गई है। उक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में आंशिक निर्णित की जाती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादीगण अपने जिम्मे की तनकी साबित कराने में असफल रहे। वादपत्र के बरूऐ ही वादीगण का वाद कोई वाद हेतुक प्रकट नही करता है। वादीगण का वाद वादीगण की प्लीडिंग्स के अनुसार भी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 56 की धारा 8 के तहत विधि वर्जित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:58:28 IST
Reason: SelfAttested

उपर्युक्त न्यायायिक दृष्टांत एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत वादीगण का वाद खारिज योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53—88—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मेंटेबल नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2026 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:58:28 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्रीमती नम्रता पुत्री श्री पन्नेसिंह जी जाति–राव, आयु वयस्क, निवासी–बोयणा, हाल–गटेडी, तहसील भदेसर, जिला–चित्तौडगढ़ (राज०)

1/1–श्री महेन्द्रसिंह पिता श्री गिरधारी सिंह जी राव (पति), आयु वयस्क, निवासी–बोयणा, हाल–गटेडी, तहसील–भदेसर, जिला–चितौडगढ़ (राज०)

1/2–सुश्री देवीनासिंह पिता श्री महेन्द्रसिंह जी राव, उम्र अल्पवयस्क जरिये बविलायत प्राकृतिक संरक्षक पिता श्री महेन्द्रसिंह जी राव, निवासी–बोयणा, हाल–गटेडी तहसील–भदेसर, जिला–चितौडगढ़ (राज०)

2. श्रीमती जसोदा पत्नी करणसिंह जी पिता अमरसिंह जी जाति राव, आयु–वयस्क, निवासी–खरदेवडा, तहसील–बड़ीसादडी, जिला–चितौडगढ (राज०)

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री अमरसिंह पिता रघुनाथसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–बोयणा, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
2. श्रीमती राधाबाई पत्नी अमरसिंह जी जाति राव, आयु–वयस्क, निवासी–बोयणा, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
3. पन्नेसिंह पिता अमरसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–बोयणा, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
4. सतपालसिंह पिता जलबीरसिंह जी जाति–जाट, आयु–वयस्क, निवासी–जुल्ली, तहसील–तोशाम, जिला–भिवानी (हरियाणा) हाल वीएसएस मोटर्स हीरो एजेन्सी गोवर्धनविलास, उदयपुर, जिला–उदयपुर (राज०)
5. कुलदीपसिंह पिता नरपतसिंह जी जाति–जाट, आयु–अवयस्क, बविलायत पिता नरपतसिंह राव, आयु वयस्क, निवासी सायरा, तहसील–गोगुन्दा, जिला–उदयपुर (राज०)
6. भूपेन्द्रसिंह पिता नरपतसिंह जी जाति–जाट, आयु–अवयस्क, जरिये बविलायत पिता नरपतसिंह राव, आयु वयस्क, निवासी–सायरा, तहसील–गोगुन्दा, जिला–उदयपुर (राज०)
7. पटवारी, पटवार हल्का बोयणा, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
8. उप पंजियक महोदय, मावली, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, मावली, जिला–उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:58:28 IST
Reason: SelfAttested

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 67/14 (वाद) GCMS No. – 2014/00121

यह वाद आज वास्ते अंतिम निर्णय हेतु पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. के समक्ष प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मेंटेबल नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

यह आज तारीख 05.03.2026 को न्यायालय से मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:58:28 IST
Reason: SelfAttested